तारीख हुक्म	हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या : 26/2019** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार मण्डावा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 11.12.2008 को ग्राम सीगड़ी के खसरा नम्बर 383 में से 0.40 हैक्टर भूमि शमशान हेतु आवंटित की गई थी। आवंटन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 383 में दो जगह क्रमशः 0.20 हैक्टर एवं 0.20 हैक्टर प्रस्तावित की गई थी। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नम्बर 502/383 रकबा 0.40 हैक्टर एक जगह ही कायम किये गये हैं। उक्त आवंटन की तरमीम प्रस्ताव अनुसार नहीं किये जाने से आवंटन आदेश के संलग्न प्रस्ताव अनुसार शुद्ध किये जाने की अभिशंसा की है। अतः **आदेश** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसील मण्डावा के ग्राम सीगडी के खसरा नम्बर 502/383 रकबा 0.40 है. को विलोपित किया जाकर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा आवंटन आदेश के सलग्न प्रस्तावित नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 383 मे 0.20 हैक्टर, 0.20 हैक्टर अलग अलग तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर झुन्झुनू (राज.)	